न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 11/2022
रजि.संख्या : 2022/75

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	बनाम	श्री महेन्द्र पिता बाबुलाल निवासी कुशलगढ प्रोपराईटर कार्तिक रेस्टोरेंट कुशलगढ, जिला बॉसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि — श्री मनिष त्रिवेदी – अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 30–11–2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्देशानुसार कार्तिक रेस्टोरेंट कुशलगढ में दिनांक 21.10.2022 को श्री लाल शंकर डामोर, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान जॉच में निम्न तथ्य पाये गये –

1. कुशलगढ में कार्तिक रेस्टोरेंट पर फर्म के प्रोपराईटर श्री महेन्द्र पिता बाबुलाल उपस्थित मिले। मौके पर 04 घरेलु सिलेण्डर का फर्म पर उपयोग करना पाया गया। मौके पर एचपीसीएल के 04 घरेलु सिलेण्डर जब्त किया गया।
2. जब्तशुदा 04 घरेलु सिलेण्डर की सूचना देकर मैसर्स कुशलगढ गैस सर्विस कुशलगढ के प्रतिनिधि को बुलवाया गया। उसकी सहायता से गैस सिलेण्डरो का तौल किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	सिलेंडर पर अंकित वजन	गैस का शुद्ध वजन
1	HPCL Gas	218512T	[illegible]	[illegible]	1.00
2		236777T	[illegible]	[illegible]	9.00
3		267693T	16.200	[illegible]	0.00
4		294917T	[illegible]	[illegible]	14.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर में 24.00 कि.ग्रा. गैस पाई गई।

मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 04 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1ग) का उल्लघंन होने के साथ ही द्रवित पेट्रोलियम अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 24.00 किलो ग्राम एलपीजी को जब्त किया जाकर मैसर्स कुशलगढ गैस सर्विस कुशलगढ के प्रतिनिधि मनिष/धनजी बारीया को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 प्रस्तुत कर मौके से जप्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 24.00 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 30.11.2022 को अप्रार्थी की ओर से श्री मनिष त्रिवेदी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहाराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी का मकान एवं रेस्टोरेंट दोनो पास पास स्थित है तथा दिनांक 21.10.2022 को दीपावली की सफाई का कार्य चल रहा था जिस कारण घर के सारे सिलेण्डर अपने रेस्टोरेंट मे रखे हुए थे। घरेलु सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजनार्थ नही किया गया है। कार्यवाही समाप्त कर सिलेण्डर अप्रार्थी को सूपूर्द करने आदेश फरमावे।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसंद अधिकारी बॉसवाडा के निर्देशानुसार कार्तिक रेस्टोरेंट कुशलगढ में दिनांक 21.10.2022 को श्री लाल शंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान मौके पर 04 घरेलु सिलेण्डर का फर्म पर उपयोग करना पाया गया है। मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 24.00 किलो ग्राम एलपीजी को जब्त किया जाकर मैसर्स कुशलगढ गैस सर्विस कुशलगढ के प्रतिनिधि मनिष/धनजी बारीया को सुपुर्दगी में दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर मौके से जप्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 24.00 किलो ग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 24.00 किलो ग्राम गैस कार्तिक रेस्टोरेंट, कुशलगढ जिला बॉसवाडा (राज.) पर पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग करना पाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 24.00 किलो ग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner